**पंजीकृत डाक से, पावती सहित**

सं.3850/एफएए/2013/ए-19 01 नवम्बर, 2013

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारीभारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी / बैंक)अपील सं.: 19/2013**

**श्री लोचन मखीजा के दिनांक 23/08/2013 के आवेदन के संबंध में सिडबी के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के दिनांक 25/09/2013 के आदेश के विरुद्ध श्री लोचन मखीजा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत दिनांक 10/10/2013 की अपील**

**पृष्ठभूमि :**

श्री लोचन मखीजा, द्वारा श्री उदय भवालकर, ‘रमा गोविन्द’, प्लॉट नं.5, लेन नंबर/गली क्र-1, सहबास सोसायटी, कर्वे नगर, पुणे – 411052 (महाराष्ट्र), ने अपने दिनांक 23/08/2013 के आवेदन पत्र द्वारा दो मदों पर बैंक से सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया था | उक्त आवेदन का निपटारा बैंक के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने दिनांक 25/09/2013 आदेश सं.1034 द्वारा किया गया जिसमे आवेदन की मद सं.1 में मांगी गई सूचना को इस आधार पर मना कर दिया कि मांगे गए पत्रों व आवेदनों का प्रणेता स्वयं आवेदनकर्ता है जिसकी सूचना / जानकारी उनके पास पहले से उपलब्ध है | इसलिए मांगी गई सूचना युक्तिसंगत नहीं है | मद सं.2 के सम्बन्ध में भी यह सूचना दी गई है कि आवेदक को, जो की बैंक का अधिकारी भी है, उनके पत्रों / अभ्यावेदनों के निब्टान से सम्बंधित सक्षम अधिकारी के निर्णयों से समय-समय पर अवगत कराया जा चुका है | केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक ने दिनांक 10/10/2013 की अपील दायर की है जिसमे अपील में दर्शाए गए विभिन्न कारणों द्वारा यह कहा है कि मांगी गई सूचना दस्तावेज उन्हें प्रदान करवाये जाय | साथ ही यह भी प्रार्थना की गई है कि यदि इस मामले में नियमानुसार कोई कार्यवाई न की हो तो उसकी भी सूचना उपलब्ध कराई जाए |

 ***…2/-..***

**: 2 :**

**निर्णय :**मैंने आवेदक के दिनांक 23/08/2013 के आवेदन पत्र व बैंक के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा पारित आदेश सं.1034 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है | इस संदर्भ में यह भी नोट किया जाना आवश्यक है कि आवेदक स्वयं लोक प्राधिकारी के एक अधिकारी के रूप में कार्यरत है और इस प्रकार वह संस्थान के नियम / विनियम व आचार संहिता आदि से मर्यादित है | इसलिए प्रश्न यह भी उठता है कि क्या एक कर्मचारी अपने कार्य के निष्पादन के सम्बन्ध में उच्च अधिकारीयों द्वारा दिए गए निर्णयों आदि की सूचना को सूचना का अधिकार नियम के जरिये बाह्य रूप से प्राप्त कर सकता है | अगर यह स्थिति को माना जाय तो कार्यालय के दैनिक कार्यकलापों को सुचारू रूप से चलाना मुश्किल हो सकता है | जहा तक व्यक्तिगत मामलों का सम्बन्ध है, बैंक में कर्मचारियों की शिकायत निवारण प्रक्रिया भी उपलब्ध है, कर्मचारी जिसका उपयोग अपनी व्यक्तिगत शिकायतों के निवारण के लिए कर सकते है | लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि एक कर्मचारी होने के कारण सूचना अधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता | इस सम्बन्ध में कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत पत्र / प्रपत्रों पर कार्यवाई सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होगा | इसलिए मात्र यह सूचित करना कि समय – समय पर आवश्यक सूचना प्रदान कर दी गई है, न्यायोचित नहीं है |

उपरोक्त विवेचना के आधार पर, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को मामला इस आश्य के साथ वापिस किया जाता है कि वे आवेदक के आवेदन पर पुनः विचार करके अगर आवेदक के व्यक्तिगत पत्र / आवेदनों पर की गई कार्यवाई की सूचना उपलब्ध हो तो वह आवेदक को इस पत्र की प्राप्ति के पश्चात 15 कार्यदिवस में उपलब्ध करायें | यदि किसी कारणवश कोई सूचना प्रदान नहीं की जा सकती तो आवेदक को कारण सहित सूचित किया जाये |

आदेश तदनुसार ।

 **ह/-**

**[शैलेन्द्र महलवार]मुख्य महाप्रबंधक तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी**

 ***…3/-..***

**: 3 :**

दिनांक 01/11/2013 का पृष्ठांकन सं.3850ए/एफएए/2013/ए-19

1) श्री लोचन मखीजा, द्वारा श्री उदय भवालकर, ‘रमा गोविन्द’, प्लॉट नं.5, लेन नंबर/गली क्र-1, सहबास सोसायटी, कर्वे नगर, पुणे – 411052 (महाराष्ट्र).

2) श्री उ.शं. लाल, महाप्रबंधक एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सिडबी, प्रधान कार्यालय, लखनऊ, उ.प्र.

**[सदा बिहारी साहु]सहायक महाप्रबंधक (प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का कार्यालय)**